भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1421

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध

†1421. श्रीमती के. मरगथम

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने साइबर अपराधों की जांच करने और इससे प्रभावी रुप से निपटने हेतु रुपरेखा का सुझाव देने के लिए गत वर्ष स्थापित एक विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अमेरिकी पद्धति की तर्ज पर साइबर अपराधों को रोकने के लिए दो प्रमुख कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर और साइबर प्रिवेंशन अगेंस्ट विमिन एंड चिल्ड्रन की स्थापना करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): देश में साइबर अपराधों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु , गृह मंत्रालय में गठित विशेषज्ञ समूह ने एक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (आई4सी) स्थापित करने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन साइबर अपराध की सूचना देने, साइबर अपराध की निगरानी, विधि विज्ञान इकाइयों की स्थापना, पुलिस, अभियोजकों एवं न्यायिक पदाधिकारियों के क्षमता संवर्धन, अनुसंधान एवं विकास को बढावा देने, जागरू कता सृजन आदि के प्रभावी निष्पादन हेतु सैद्धांतिक रूप में उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है।

(ग) और (घ): साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने से संबंधित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर , दो योजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। आई4सी योजना साइबर अपराधों के विभिन्न आयामों से प्रभावी तरीके से निपटने तथा साइबर जगत के अपराधों अर्थात् पहचान चुराना, वीओआईपी/ऑनलाइन धोखाधड़ी/ई-मेल अकाउंट हैकिंग/ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी सहित स्कैम ई-मेल/फोन कॉल द्वारा उत्पीड़न, नीलामी में धोखाधड़ी, रोजगार/व्यापार संबंधी अवसरों में धोखाधड़ी, पोंजी/पिरामिड, स्पॉम, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध, निवेश संबंधी धोखाधड़ी आदि पर ध्यान देने के लिए प्रस्तावित है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए निर्भया कोष से वित्त पोषण के साथ महिला एवं बाल साइबर अपराध निवारण योजना (सीसीपीडब्ल्यूसी) का प्रस्ताव किया गया है। सीसीपीडब्ल्यूसी में यौन शोषण, गलत/अश्लील ई-मेल, बदनाम करने का प्रयास, पीछा करना, पोर्नोग्राफी वीडियो, ऑनलाइन उत्पीड़न, स्पूफिंग ई-मेल, पोर्नोग्राफी विषय-वस्तु तैयार करने के लिए चित्रों से छेड़छाड़ करने आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।